भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5816

गुरूवार, 2 मई, 2013

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा भुगतानों को जारी करना

5816 श्री ताराचंद भगोरा :
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री रघुवीर सिंह मीणा:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल) ने विभिन्न लघु स्तरीय उद्योगों (एसएसआई) इकाइयों द्वारा कार्य को पूरा किए जाने के बावजूद भुगतान जारी नहीं किए है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लघु स्तरीय उद्योगों/इकाइयों के नाम क्या हैं जिनका 31 मार्च, 2013 को 50 लाख या अधिक का भुगतान लंबित था ;

(ग) क्या एसएसआई इकाइयों के भुगतान को अनावश्यक रूप से रोकने के लिए कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही हेतु आईएल के अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सभी एसएसआई इकाइयों को समय-बद्ध कार्यक्रम के साथ भुगतान जारी करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क) जी, हां।

(ख) एसएसआई यूनिटें जिनका 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 50 लाख रुपए या इससे अधिक का भुगतान बकाया है, निम्नप्रकार हैं:-

i) मैसर्स मयूर केबल्स
ii) मैसर्स लैक्सस

(ग) और (घ) कंपनी फिलहाल वित्तीय संकट में है और उसे अपने कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी तथा सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान करने में भी कठिनाई आ रही है। तथापि, पर्याप्त निधियां जुटाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी बकाया देयताओं का भुगतान किया जा सके। चूंकि कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी के कारण भुगतान नहीं किया गया है इसलिए, इस प्रसंग में, कंपनी के किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार नहीं किया गया है।

(ड़.) सरकार ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के प्रबंधन को बकाया देयताओं के निपटारे के लिए निदेश दिया है।

*****